

न्यायालय माध्यस्थम (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 40 / 2019

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

कुन्दनमल गांधी पुत्र राधावल्लभ
गांधी पता प्लॉट नं. 158,
खेतानाडी, मण्डोर रोड़, जोधपुर

1- मुख्य अभियन्ता एवं रिजनल
ऑफिसर, सड़क परिवहन एवं
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
अधिकरण, डी.सी.एम. अजमेर रोड़,
जयपुर (राज.)

2- मुख्य अभियन्ता, (राष्ट्रीय राजमार्ग)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर,
राजस्थान।

3- प्रोजेक्ट मैनेजर अधिशाषी
अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण
विभाग जोधपुर।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5), राष्ट्रीय
राजमार्ग अधिनियम, 1956; सपठित आर्बीट्रेशन एवं
कन्सीलीयेशन एक्ट, 1996

उपस्थिति

आदेश दिनांक : 24.08.2022

1- श्री राजीव पटेल अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

2- श्री मनोज गहलोत अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष-1, 2)

लगातार...

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 41 / 2019

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

कुन्दनमल गांधी पुत्र राधावल्लभ
गांधी पता प्लॉट नं. 158,
खेतानाडी, मण्डोर रोड, जोधपुर

- 1- मुख्य अभियन्ता एवं रिजनल
ऑफिसर, सड़क परिवहन एवं
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
अधिकरण, डी.सी.एम. अजमेर रोड,
जयपुर (राज.)
- 2- मुख्य अभियन्ता, (राष्ट्रीय राजमार्ग)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर,
राजस्थान।
- 3- प्रोजेक्ट मैनेजर अधिशाषी
अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण
विभाग जोधपुर।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5), राष्ट्रीय
राजमार्ग अधिनियम, 1956; सपठित आर्बीट्रेशन एवं
कन्सीलीयेशन एक्ट, 1996

उपस्थिति

आदेश दिनांक : 24.08.2022

- 1- श्री राजीव पटेल अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
- 2- श्री मनोज गहलोत अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष-1, 2)

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 42 / 2019

<u>प्रार्थी</u>	<u>बनाम</u>	<u>अप्रार्थी</u>
अभिषेक गांधी पुत्र कुन्दनमल गांधी पता प्लॉट नं. 158, खेतानाडी, मण्डोर रोड़, जोधपुर		1- मुख्य अभियन्ता एवं रिजनल ऑफिसर, सड़क परिवहन एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, डी.सी.एम. अजमेर रोड़, जयपुर (राज.) 2- मुख्य अभियन्ता, (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, राजस्थान। 3- प्रोजेक्ट मैनेजर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5), राष्ट्रीय
राजमार्ग अधिनियम, 1956; सपटित आर्बीट्रेशन एवं
कन्सीलीयेशन एक्ट, 1996

उपस्थिति

आदेश दिनांक : 24.08.2022

- 1- श्री राजीव पटेल अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
- 2- श्री मनोज गहलोत अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष-1, 2)

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक:
NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956

लगातार....

का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम् (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त तीनों आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्रों में विवादग्रस्त भूमि का अवाप्ति अवॉर्ड आदेश व तीनों प्रकरणों में चाह गया अनुतोष एक समान होने से इनका पंचाट एक साथ लिखवाया जा रहा है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्रों के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-65 (नया-62) (जोधपुर पाली खण्ड) के कि.मी. 308/000 से कि.मी. 338/400 तक के निर्माण (चौड़ाईकरण एवं चार लेन का बनाने आदि) हेतु ग्राम बासनी चौहाना, कुड़ी भगतासनी, बासनी बाघेला, भाकरासनी, मोगड़ा कला, मोगड़ा खूर्द, जम्भेश्वर नगर, कांकाणी एवं निम्बला तहसील लूणी जिला जोधपुर की प्रभावित भूमि जिसमें प्रार्थीगण की ग्राम कांकाणी मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 888 रकबा 5776 वर्गमीटर भूमि, ख.नं. 903/2, 903/4 कुल रकबा 1472 वर्गमीटर भूमि एवं ख.नं. 890/2 रकबा 700 वर्गमीटर भूमि को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अवाप्त करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 12.07.2013 एवं 3(डी) की अधिसूचना दिनांक 05.05.2014 जारी कर भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आमंत्रित किये गये। ग्राम कांकाणी के खसरा नम्बर 888 रकबा 5776 वर्गमीटर भूमि, ख.नं.903/2, 903/4 कुल रकबा 1472 वर्गमीटर भूमि एवं ख.नं. 890/2 रकबा 700 वर्गमीटर भूमि का अवाप्ति अवॉर्ड मुआवजा निर्धारण करने का दिनांक 10.04.2015 को जारी किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पीटिशन याचिका प्रस्तुत होने एवं उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.03.2017 को निर्णय पारित करते हुए विवादित भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पुन निर्धारण करने को निर्देशित किया गया तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर जोधपुर, तृतीय अपने आदेश क्रमांक 1456 दिनांक 23.06.2017 को जारी किया गया, जिसमें ग्राम कांकाणी जोधपुर विकास प्राधिकरण की शहरी सीमा में होने से प्रार्थीगण की अवाप्ति भूमि का मुआवजा निर्धारण के लिए जारी अवॉर्ड आदेश में भूमि के बाजार मूल्य को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कारक से गुणित नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर ये आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए।

उक्त आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्रों को दर्ज रजिस्टर (40/2019, 41/2019 व 42/2019)

कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज गहलोत ने उपस्थित होकर दिनांक 27.10.2020 को जबाब पेश किया गया। अप्रार्थीपक्ष-1 की ओर से अधिवक्ता श्री बी.पी. बोहरा का वकालतनामा पेश करने की अप्रॉडरटेकिंग लिये जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं हुआ, न जबाब पेश किया गया। अप्रार्थीपक्ष-1 की ओर से जबाब प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 20.09.2021 को बंद किया

अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जबाब में प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं किया है इसी आधार पर ही काबिले निरस्त है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या-2, 3 रिकॉर्ड से संबंधित है। पद वं0-4 के जो तथ्य लिखे गये हैं वो पूर्णतया गलत है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28.12.2017 की गाईडलाईन को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप ही अंतिम अवॉर्ड पारित किया गया। जबाब में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की भूमि ग्राम कांकाणी में स्थित है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प:1(3)राज.6/2011 पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार अवॉर्ड में सम्मिलित ग्राम जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आता है। प्रार्थी की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की अनुसूची-1 के अनुसार शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है अतः उससे जुड़े व्यवहारों में उक्त भूमि को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जा सकता है। मुआवजा की राशि की गणना में बाजार मूल्य को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार गुणित किया गया है। जबाब में आगे कहा कि प्रार्थना पत्र के पद सं0 15 के तथ्य पूर्णतया गलत होना बताया गया। जबाब के अन्त में प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप नहीं होने के कारण भारी हर्जे खर्चे के निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां पेश हुई :-

- 1- दस्तावेज फोटो प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय, जोधपुर द्वारा जारी अवॉर्ड क्रमांक 1456 आदेश दिनांक 23.06.2017
- 2- दस्तावेज फोटो प्रति राजस्थान राजपत्र दिनांक 03.02.2009 बाबत् अनुसूचित-1 (जोधपुर रीजन में सम्मिलित सूची शहरी, कस्बा व गांवों) छः पृष्ठीय।
- 3- दस्तावेज फोटो प्रति जोधपुर नगरीय क्षेत्र योजना परिक्षेत्र
- 4- दस्तावेज फोटो प्रति सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकारी दिनांक 28.12.2017 को जारी की गई।
- 5- दस्तावेज फोटो प्रति परिपत्र राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर लगातार...

दिनांक 14.06.2017 को जारी किया गया।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज की प्रमाणित फोटो प्रति पेश हुई।

- 1- दस्तावेज फोटो प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय, जोधपुर द्वारा जारी अवॉर्ड क्रमांक 1456 आदेश दिनांक 23.06.2017
- 2- दस्तावेज फोटो प्रति राजस्थान राजपत्र दिनांक 03.02.2009 बाबत अनुसूचित-1 (जोधपुर रीजन में सम्मिलित सूची शहरी, कस्बा व गांवों) छः पृष्ठीय।
- 3- दस्तावेज फोटो प्रति जोधपुर नगरीय क्षेत्र योजना परिक्षेत्र

अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से दिनांक 10.02.2021 एवं प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 10.07.2022 को लिखित बहस प्रस्तुत हुई। दिनांक 02.08.2022 को प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस भी सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में बतलाया कि ग्राम कांकाणी मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 903/2, 903/4 कुल रकबा 1472 वर्गमीटर, ख.नं. 888 रकबा 5776 वर्गमीटर भूमि एवं ख.नं. 890/2 रकबा 700 वर्गमीटर भूमि को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अवाप्त करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए एवं 3डी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में हुआ। ग्राम कांकाणी के उक्त खसरा नम्बर की भूमि का अवाप्ति अवॉर्ड मुआवजा निर्धारण करने का दिनांक 10.04.2015 को जारी किया गया जिसमें अवाप्त की गई भूमि मुआवजा निर्धारण करते समय प्रार्थीपक्ष द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पीटिशन याचिका प्रस्तुत की गई तथा उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.03.2017 को निर्णय पारित करते हुए विवादित भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पुन निर्धारण करने को निर्देशित किया गया तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर जोधपुर, तृतीय अपने अंतिम आदेश दिनांक 23.06.2017 को जारी किया गया, जिसमें ग्राम कांकाणी जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में होने से प्रार्थीगण की भूमि का बाजार मूल्य को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 मे विनिर्दिष्ट कारक से गुणित नहीं किया गया, जबकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार धारा 26 के अनुसार बाजार मूल्य को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कारक 1.00 से 2.00 के आधार पर गुणित कर मुआवजा निर्धारण करने का प्रावधान है। बहस में आगे कहा कि उक्त अधिनियम, 2013 सपठित अनुसूचि-प्रथम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

लगातार...

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2016 को जारी अधिसूचना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पेकेज निर्धारण हेतु बाजार मूल्य जिस गुणक से गुणा निम्नानुसार किया जाना बताया गया।

<u>शहरी क्षेत्र से दूरी</u>	<u>गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे</u>
0-10 किमी.	1.25
10-20 किमी	1.50
20-30 किमी	1.75
30 किमी.	2.00

उक्त अधिसूचना में जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र सम्मिलित होने का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। बहस में आगे कहा कि ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जो जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 के तहत अनुसूचि-1 में शहर, कस्बा एवं गावों की अधिसूचना जारी हुई उसके क्रमांक 95 पर कांकाणी गांव दर्शाया गया है जो जोधपुर बस स्टेण्ड से 28-30 किमी दूरी पर है। जोधपुर मास्टर प्लान में जोधपुर शहरी क्षेत्र, पेरीफेरी क्षेत्र दर्शाया गया उसमें ग्राम कांकाणी पेरीफेरी क्षेत्र से बाहर है। बहस के अंत में प्रार्थी की अवाप्ति भूमि ग्राम कांकाणी में स्थित होने एवं कांकाणी शहरी क्षेत्र/पेरिफेरी क्षेत्र से बाहर होने से ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर निर्धारित गुणक से बाजार मूल्य से गुणित कर मुआवजा निर्धारण करने की इस्तदुआ की। बहस के समर्थन में (2012) 7 SCC 389(para 17, 18) पर दिये गये न्याय निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में बतलाया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं है तथा जिस अवॉर्ड को चेलेन्ज किया गया वह अंतिम अवॉर्ड दिनांक 23.06.2017 को पारित किया गया है उसके दो वर्ष चार माह पश्चात् उपरोक्त क्लेम प्रस्तुत किया गया जो विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार, पुर्नवास एवं सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाईडलाईन के अनुसार ही अवॉर्ड की राशि के निर्धारण में भी अनुसूचि व धाराओं का ध्यान रखा गया है। आगे यह भी कहा कि प्रार्थी की भूमि कांकाणी गांव का हिस्सा है जो जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रथम अनुसूचि के अन्तर्गत आता है जो शहर क्षेत्र है तथा ग्रामीण क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जा सकता है। मुआवजा निर्धारण की राशि की गणना

दस्तावेज / कल

लगातार...

में बाजार मूल्य को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार ही गुणित किया गया है। बहस के अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना व मोर्थ द्वारा जारी गाईडलाइन का अध्ययन भी किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीपक्ष का मुख्य कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर जोधपुर-तृतीय द्वारा उनकी अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण करने का अर्वार्ड दिनांक 23.06.2017 को जारी किया गया, उसमें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 में तय किये गये गुणक से बाजार मूल्य राशि से गुणित नहीं किया गया, जो विधि सम्मत नहीं होने से आदेश हस्तक्षेप योग्य है।

राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3) राज-6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 प्रभावी है। उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पेकेज निर्धारण हेतु बाजार मूल्य जिस गुणक से गुणा निम्नानुसार किया जाना बताया गया।

<u>शहरी क्षेत्र से दूरी</u>	<u>गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे</u>
0-10 किमी. तक	1.25
10 से अधिक व -20 किमी तक	1.50
20 से अधिक व -30 किमी तक	1.75
30 किमी.से अधिक	2.00

अधिसूचना में यह भी स्पष्टीकरण दिया गया कि जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र सम्मिलित है, जो शहरी क्षेत्र सीमा में माना जायेगा। स्वयं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फोटो प्रति जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 के तहत अनुसूचि-1 में शहर, कस्बा एवं गावों की अधिसूचना जारी हुई उसके क्रमांक 95 पर ग्राम कांकाणी सम्मिलित है अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार विवादग्रस्त भूमि ग्राम कांकाणी में स्थित होने के कारण शहरी क्षेत्र सीमा में ही माना गया, वो उचित है। यद्यपि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूचि के क्रम सं०-2 (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना) के सामने स्तम्भ-3 में शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर, जो समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाय, 1.00 से 2.00 तथा क्रम सं०-3 (नगरीय क्षेत्र की दशा में वे कारक जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है) के सामने विनिर्दिष्ट कारक 1.00 से गुणित करने का प्रावधान है, परन्तु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर जोधपुर तृतीय ने विवादग्रस्त भूमि का मुआवजा निर्धारण करने अंतिम अवॉर्ड दिनांक 23.06.2017 को जारी किया गया उसमें अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूचि के क्रम सं०-3 (नगरीय क्षेत्र की दशा में वे कारक जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है) के सामने विनिर्दिष्ट कारक 1.00 से गुणित नहीं किया गया तथा विनिर्दिष्ट कारक 1.00 से गुणित किये जाने पर भी प्रार्थीगण की निर्धारित मुआवजा राशि में कोई अन्तर नहीं पड़ता अतः सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) के अवॉर्ड आदेश दिनांक 23.06.2017 पारित करने में मात्र तकनीकी त्रुटि हो सकती है तथा इस त्रुटि से प्रार्थीपक्ष के हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में उक्त तीनों आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष के आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र (सं० 40/2019, 41/2019 व 42/2019) अस्वीकार किये जाते हैं। पंचाट आदेश तीनों प्रकरणों के संलग्न किया जावे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। आदेश सुनाया गया।